

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 32/2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन, मैसर्स-अरिहन्त एजेन्सीज, इनफ्रन्ट ऑफ चौहान गार्डन, सी/ओ-दिनेश, एच.नं0 4/44, चर्च रोड़, पाल बिछला, अजमेर
2. मैसर्स-अरिहन्त एजेन्सीज, इनफ्रन्ट ऑफ चौहान गार्डन, सी/ओ-दिनेश, एच. नं0 4/44, चर्च रोड़, पाल बिछला, अजमेर

.....अप्रार्थीगण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : वकील अप्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित

-: आदेश :-

दिनांक-23.01.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सब स्टैंडर्ड केसरबाटी (लूज) का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 02.11.2020 को 04.00 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स-अरिहन्त एजेन्सीज, इनफ्रन्ट ऑफ चौहान गार्डन, सी/ओ-दिनेश, एच.नं0 4/44, चर्च रोड़, पाल बिछला, अजमेर पर पहुँचे श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन मौके पर उपस्थित मिले। मौके पर आम जनता को विक्रय हेतु 08-10 किलोग्राम केसरबाटी (लूज) प्लास्टिक की थैलियों



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अजमेर

में रखी हुई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान केसरबाटी (लूज) में मिलावट का शक होने पर उनमें से नमूना जाँच हेतु 2 किलो ग्राम केसरबाटी (लूज) वास्ते नमूना जाँच हेतु 200/- रुपये श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन को नगद देकर गवाह श्री देवराज पुत्र श्री हंसराज, लेब टेक्निशियन, सरस डेयरी, अजमेर के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री विनोद कुमार जैन को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा केसरबाटी (लूज) को एक रूप कर चार खाली बोतलों में बराबर बराबर डालने एवं प्रत्येक बोतल में 40-40 बून्दे फार्मेलिन की डालकर ढक्कन लगाकर बंद करने व लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए-2500 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जापते में लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/11053 दिनांक 25.11.2020 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस./453/एक्ट/2020/215 दिनांक 06.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच उपयोग में ली गई केसरबाटी (लूज) सबस्टैण्डर्ड होना पाई गई। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 17.05.2021 को प्रस्तुत हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 17.05.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री विनोद कुमार जैन को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए किन्तु उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 23.01.2025 को वरवक्त बहस वकील अप्रार्थी एवं अप्रार्थी श्री विनोद कुमार जैन स्वयं अनुपस्थित रहे। वकील अप्रार्थी व अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद में वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नहीं समझा गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय की गई केसरबाटी (लूज) सब स्टैण्डर्ड होना पाई गई, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन/तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री विनोद कुमार जैन द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय की जा रही केसरबाटी (लूज) निर्धारित मूल्यों अनुसार होना नहीं पाई गई है। उत्पाद में निर्धारित वैल्यू के अनुरूप नहीं होना आम जनता/उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ स्पष्ट रूप से खिलवाड़ है। उपभोक्ता कोई भी उत्पाद विश्वास के साथ क्रय करता है, विक्रेता का इस प्रकार का कृत्य उपभोक्ता के विश्वास को भी परोक्ष रूप से आघात पहुँचाता है एवं विक्रेता/फर्म का ऐसा कृत्य अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन कर समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित करने के दृष्टिगत अप्रार्थी को इस चेतावनी के साथ हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का



न्याय निर्णायक अजमेर एवं
अतिरिक्त मिता क्लर्क (प्रशासन) अजमेर

अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री विनोद कुमार जैन को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री विनोद कुमार जैन को रु 200000/- (अक्षरे दो लाख रूपये मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 23.01.2025 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में

सुनाया गया।



(ज्योति कर्फवानी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

दिनांक :

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, अजमेर
- 3- अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
- 4- श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन, मैसर्स-अरिहन्त एजेन्सीज, इनफन्ट ऑफ चौहान गार्डन, सी/ओ-दिनेश, एच.नं० 4/44, चर्च रोड़, पाल बिछला, अजमेर

(ज्योति कर्फवानी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर